उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0आ0–माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

वाहन नीलामी हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UK-07-V9054 इनोवा (डीजल) मॉडल 2008 के ''जैसा है जहाँ है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहन के विक्रय हेतु सील बन्द निविदा इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 24.06.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से आमन्त्रित की जाती है, जो कि उसी दिवस को अपरान्ह 04.00 बजे उपस्थित क्रेताओं के समक्ष नीलामी समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होगी। वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 04.00 बजे से 05.30 बजे तक आयोग परिसर में किया जा सकता है।

निविदा की विस्तृत शर्तें एवं निविदा प्रपत्र आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी जा सकती है।

विज्ञा0सं0–03/19-20

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0आ0–माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

वाहन की नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें

1- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UK-07-V9054 इनोवा (डीजल) मॉडल 2008 ''जैसा है जहॉं है'' के आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध है। वाहन के विक्रय हेतु सील बन्द निविदा इच्छुक निविदादाता से दिनांक 24.06.2019 को अपरान्ह 3:00 बजे तक डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से आमन्त्रित की जाती है, जो कि उसी दिवस को अपरान्ह 04.00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष नीलामी समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होगी। इच्छुक निविदादाता को जमानत धनराशि के रूप में रू0 5,000.00 (रू0 पॉंच हजार मात्र) का ड्राफ्ट जो सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, सील बन्द निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2- निविदा हेतु तय तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- आयोग के उक्त निष्प्रयोज्य वाहन का मूल्य रू0 86,473.00 निर्धारित है। अतः निष्प्रयोज्य मूल्य से कम मूल्य की निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

4- वाहन के निष्प्रयोज्य मूल्य से कम मूल्य प्राप्त होने की दशा में निविदा प्रक्रिया स्थगित की जा सकती है।

5- निविदादाताओं द्वारा वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में सांय 04.00 बजे से 05.30 बजे तक आयोग परिसर में किया जा सकता है।

6- जमानत के रूप में जमा की गयी धनराशि उच्चतम निविदादाता दरों के दो सफल (प्रथम एवं द्वितीय) की धरोहर राशि को छोड़कर शेष निविदादाताओं की राशि वापस कर दी जाएगी तथा द्वितीय कम के निविदादाता की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।

7- जिस निविदादाता की दर उच्च होगी उसे पूर्ण राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, आदेश निर्गत की तिथि के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा तदोपरान्त निष्प्रयोज्य घोषित वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी होगी।

8- निविदा से प्राप्त धनराशि केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय हो, के रूप में जमा की जा सकती है अन्य माध्यम से जमा धनराशि पर विचार नहीं किया जाएगा।

9- यदि उच्चतम सफल निविदादाता द्वारा धनराशि समय सीमा के अन्तर्गत जमा करने में असफल होता है तब ऐसी स्थिति में दूसरे कम में सफल निविदादाता के नाम निष्प्रयोज्य वाहन को द्वितीय उच्चतम निविदा की दरों पर (परन्तु निष्प्रयोज्य मूल्य से न्यून नहीं) छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की धरोहर के रूप में जमा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

10- सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह नीलामी को बिना कारण बताते हुए अस्वीकार कर सकता है और पुनः नीलामी की कार्यवाही कर सकता है।

11- वाहन की नीलामी विभागीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समिति द्वारा की जाएगी।

12- निविदा खोलते समय समिति के समक्ष केवल निविदादाताओं को ही प्रवेश दिया जायेगा।

13- वाहन की विक्रय निविदा उपरान्त प्रथम सफल निविदादाता को वाहन का पंजीकरण स्वयं के नाम पर वाहन की डिलीवरी प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर हस्तान्तरित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर व्यय का खर्च क्रेता द्वारा स्वयं वहन करना होगा। निविदादाता द्वारा वाहन का पंजीकरण हस्तान्तरण किये जाने के उपरान्त ही जमानत राशि रू0 5000/– का ड्राफ्ट क्रेता को वापस किया जाएगा।

14- यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा तथा सम्बन्धित विभाग को भुगतान कर उसकी रसीद/चालान की प्रति वाहन की डिलीवरी लेने पूर्व आयोग में जमा करेगा तत्पश्चात् ही वाहन की डिलीवरी आयोग द्वारा दी जाएगी।

15- उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में तथा नीलामी की तिथि स्थगित होने या बदलने एवं नीलामी के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से सर्वमान्य होगा।

सचिव

<u>आयोग के निष्प्रयोज्य घोषित वाहन सं0 UK-07-V9054 इनोवा (डीजल) की नीलामी हेतु निविदा दर प्रपत्र</u>

1. **निविदादाता नाम** :
2. **निविदादाता का पता** :
3. **निविदादाता का दूरभाष/मोबाइल नं0** :
4. **पहचान पत्र का विवरण** :
5. **धरोहर राशि का विवरण** : ड्राफ्ट नं0...................... दिनांक.................. .

   धनराशि......................... देय बैक का विवरण ....

वाहन का विवरण	निविदत धनराशि (अकों एवं शब्दों में)
वाहन सं0 UK-07-V9054 इनोवा (डीजल), मॉडल 2008	

निविदादाता के हस्ताक्षर